[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2017

S.O……(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Assam State Biodiversity Board, a board established by the Government of Assam, in respect of the following specified income arising to that board, namely:-

a) Grants received by the Board from Assam State Government and from National Biodiversity Authority;
b) fee received by the Board for granting access to biological resources by applicants;
c) fee/ Consultancy charges received from organizations for carrying out field studies/research works;
d) interest earned on the Grants in aid provided to the Board by National Biodiversity Authority and Government of Assam; and
e) interest earned from Term deposits with bank.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Assam State Biodiversity Board,-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial Years 2015-16, 2016-17 and shall apply with respect to financial years 2017-18, 2018-19 and 2019-20.

[Notification No.69/2017, F.No.300196/1/2016-ITA-I]

(Deepshikha Sharma)
Director, Government of India

Explanatory Memorandum:-It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 2017

अधिसूचना

का. आ........(अ) – आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु असम सरकार द्वारा गठित बोर्ड, 'असम राज्य जैव विविधता बोर्ड' को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है अर्थात्

(क) असम राज्य सरकार और राष्ट्रीय जीव विविधता प्राधिकरण से बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान
(ख) बोर्ड द्वारा आवेदकों को जीव-विज्ञान संबंधी संसाधनों की पहुंच प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस
(ग) क्षेत्रीय अध्ययन/अनुसंधान कार्यों को करने के लिए संगठनों से प्राप्त फीस/परामर्शी प्रभार
(घ) राष्ट्रीय जीव विविधता प्राधिकरण और असम सरकार द्वारा बोर्ड को प्रदान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज
(ङ) बैंक के पास मियादी जमाओं पर अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगी कि असम राज्य जैव-विविधता बोर्ड :-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप और आय विशेष की प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करे।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्षों 2015-16, 2016-17 के लिए लागू हुई मानी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के संबंध में लागू होगी ।

(अधिसूचना सं. 69/2017 फा. सं.300196/1/2016-आईटीए-I)

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)
निदेशक भारत सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापनः- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं है।

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी प्रेस,
नई दिल्ली.